



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एटा

गली-01, संगम विहार कॉलोनी, निकट महाराणा प्रताप चौक, एटा 207001

ई-मेल upjnretah@upjn.co.in



पत्रांक 342 / पेपर नॉटिंग / 02 दिनांक :- 22-09-2026

सेवा में,

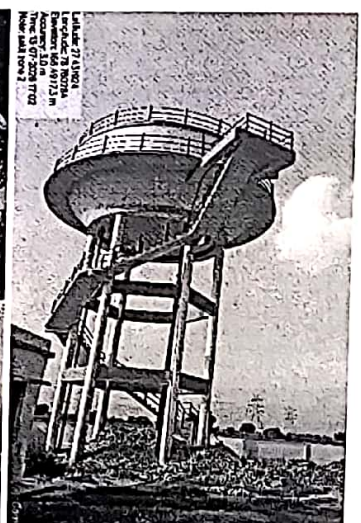
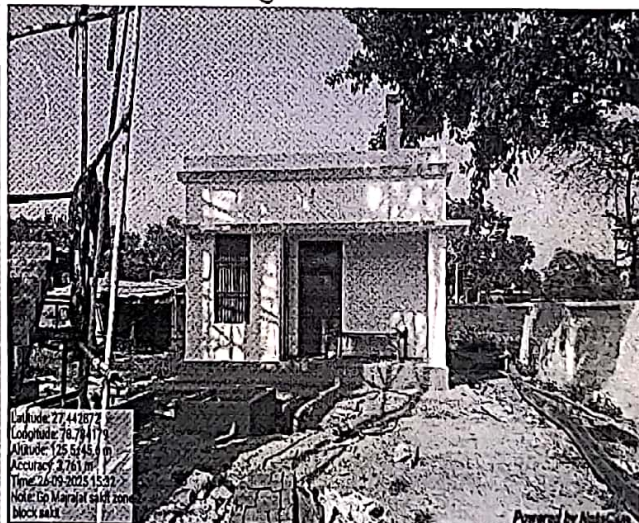
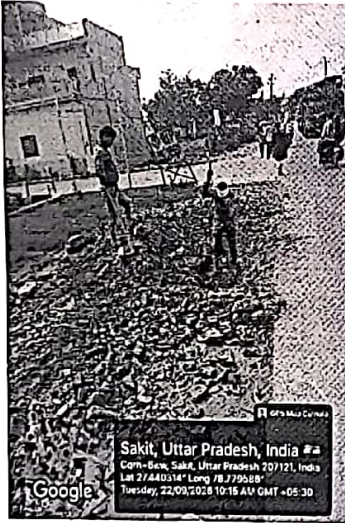
जिलाधिकारी महोदय,  
जनपद एटा।

**विषय:-** दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पानी छोड़ते ही प्रेशर से फटी पाइप लाइन" एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की पाइप लाइन चालू होने से पहले फूटी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पानी छोड़ते ही प्रेशर से फटी पाइप लाइन" एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की पाइप लाइन चालू होने से पहले फूटी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा विकास खण्ड सकीट में सकीट देहात पेयजल योजना निर्माणाधीन है। जिसके अन्तर्गत 2 नग अवर जलाशय (175 किली०/12मी० एवं 150 किली०/12मी०), 2 नग पम्प हाउस, 16.67 किमी० पाइप लाइन एवं 865 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित थे। जिसके सापेक्ष 2 नग अवर जलाशय, 2 नग पम्प हाउस, 14.05 किमी० पाइप लाइन एवं 470 नग गृह जल संयोजन का कार्य किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत नौरंगाबाद जोन-1 में पाइप लाइन टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य कराया जा रहा है। पाइप लाइन के ज्वाइंट्स खुला होने के कारण पानी की पाइप लाइन लीकेज हो गयी थी। जिसे सूचना मिलते ही कार्य स्थल पर तत्काल पाइप लाइन मरम्मत कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। जिसे अतिशीघ्र ठीक करा दिया जायेगा। योजना के अवशेष कार्यों को मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



भवदीय

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

